संख्या-113/2017/आर-1876/26-3-2017-47(रिट)/2016

प्रेषक,

सुनील कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2-निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 14 जुलाई 2017

विषयः-रिट याचिका संख्या-49758/2016 ट्रिनिटी इन्स्टीट्यूट आफ एजूकेशन गाजियाबाद बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-22.11.2016 के अनुपालन में शैक्षिक सत्र 2015-16 के बी.टी.सी.पाठ्यक्रम (जो विलम्ब से वर्ष 2016-17 में प्रारम्भ हुआ था) के छात्र-छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना आच्छादित किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक-22.06.2017 द्वारा निर्गत समय-सारिणी में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-2087/स.क.शिक्षा-अ/1/106/2017-18, दिनांक-13.07.2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव पर सम्यक्विचारोपरान्त शैक्षिक सत्र 2015-16 के बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम का सत्र जो विलम्ब से शैक्षिक वर्ष 2016-17 में प्रारम्भ हुआ था, के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना से आच्छादित किये जाने हेतु वर्तमान शैक्षिक सत्र 2017-18 में आनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिये शासनादेश संख्या-99/2017/आर-1698/26-3-2017-4(रिट)/2016 दिनांक-22.06.2017 द्वारा पूर्व में निर्गत समय-सारिणी में संशोधन करते हुये निम्नवत् संशोधित समय-सारिणी निर्गत की जाती हैः-

क्र. सं.	कार्यवाही का स्तर	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही की समयावधि वर्ष 2015-16 के बी0टी0सी0 छात्रों हेतु जिनका सत्र वर्ष 2016-17 में बिलम्ब से प्रारम्भ हुआ
1	स्तर-1	छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाईन आवेदन किया जाना	03 जुलाई 2017 से 20 जुलाई 2017 तक
2	स्तर-1	छात्र द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्टआउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
3-	स्तर-2	आनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना	आवेदन पत्र भरने के 02 दिन के अन्दर, विलम्बतम 22 जुलाई, 2017 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4	स्तर-2	शिक्षण संस्थान द्वारा आनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना	04 जुलाई, 2017 से 24 जुलाई 2017 तक
5	स्तर-3	सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य अफलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी द्वारा वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को आनलाईन सत्यापित करना	04 जुलाई 2017 से 26 जुलाई 2017 तक
6	स्तर-4	एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना। PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना	25 जुलाई 2017 से 10 अगस्त 2017 तक
7	स्तर-5	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं छात्रों को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना	16 अगस्त, 2017 तक
8	स्तर-6	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा एवं स्वीकृत डाटा लाक किया जाना	21 अगस्त 2017 तक
9	स्तर-7	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना	11 अगस्त 2017 से 18 अगस्त 2017 तक
10	स्तर-8	आनलाईन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना	आवेदन पत्र भरने के 02 दिन के अन्दर, विलम्बतम 21 अगस्त 2017 तक
11	स्तर-9	त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र को शिक्षण संस्थान द्वारा आनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	12 अगस्त 2017 से 23 अगस्त, 2017 तक
12	स्तर-10	छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना	23 अगस्त 2017 से 31 अगस्त 2017 तक
13	स्तर-11	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा से अलग शुद्ध डाटा के	01 सितम्बर 2017 से 05 सितम्बर 2017 तक।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना	
14	स्तर-11	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा एवं स्वीकृत डाटा लाक किया जाना	11 सितम्बर 2017 तक
15	स्तर-12	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना	15 सितम्बर 2017 तक।
16	स्तर-13	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	20 सितम्बर 2017 तक

2- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय

सुनील कुमार श्रीवास्तव

विशेष सचिव

पृ0सं0-113/2017/आर-1876(1)/26-3-2017तद्दिनाकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/बेसिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/पिछड़ा वर्गकल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।

3- निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।

4- निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान, प्रशिक्षण परिषद, जे.बी.टी.सी.कैम्पसनिशातगंज लखनऊ।

5 समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।

7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0लखनऊ।

8- निदेशक/तकनीकी निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ।

9- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण/जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद

अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in